न्यायालय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, त्वरित न्यायालय, कोर्ट संख्या–1, महराजगंज

आपराधिक प्रकीर्ण सं०–288/2025

हरिकेश शर्मा बनाम उ०प्र० सरकार व अन्य

धारा–5 भारतीय मियाद अधिनियम

थाना–श्यामदेउरवा, जिला महराजगंज।

21.07.2026

1– पत्रावली प्रस्तुत। पुकार करायी गयी। प्रार्थी/निगरानीकर्ता के विद्वान अधिवक्ता उपस्थित। विपक्षीगण उपस्थित। उभय पक्षों को सुना गया।

2– उभय पक्षों के विद्वान अधिवक्ता को प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 भारतीय मियाद अधिनियम में नियम पर सुना तथा पत्रावली का अवलोकन किया। पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रश्नगत मामले में निगरानीकर्ता द्वारा प्रार्थना पत्र में यह मुख्य रुप से अभिकथित किया गया है कि निगरानीकर्ता को व परिवार के लोगों को उक्त मुकदमें का जानकारी नहीं है माननीय न्यायालय द्वारा जो भी सम्मन, जमानतीय वारण्ट अधीनस्थ न्यायालय द्वारा निगरानीकर्ता के घर नहीं गया है, न ही किसी के द्वारा तामिल है। उक्त मुकदमें की जानकारी निगरानीकर्ता को तब हुई जब माननीय न्यायालय द्वारा में आकर पता कराया तो प्रार्थी के विरूद्ध मुकदमा विचाराधिन है। प्रार्थी रोजी रोटी के सिलसिले में बाहर चला गया था घर वापस आया तो मुकदमें की जानकारी हुई निगरानीकर्ता ने जान बूझकर निगरानी दाखिल करने में कोई विलम्ब नहीं किये है। निगरानीर्ता को धारा–5 भारतीय मियाद अधिनियम का लाभ दिया जाना न्यायहित में आवश्यक है। अतः श्रीमान् जी से प्रार्थना है कि निगरानीकर्ता को धारा–5 भारतीय मियाद अधिनियम का लाभ देने की कृपा करे।

3– विपक्षी सं० 2 के विद्वान अधिवक्ता द्वारा आपत्ति मिनजानिब प्रत्युत्तरदाता/वादी खिलाफ प्रार्थना पत्र भा०मि०अधि० की धारा 5 में अभिकथित किया है कि निगरानीकर्ता द्वारा प्रस्तुत मियाद प्रार्थना पत्र बिल्कुल ही असत्य व काल्पनिक तथ्यों पर आधारित है एंव सही तथ्यों को छिपाकर मियाद प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है। न्यायालय अवर श्रीमान् सिविल जज जू०डि० एफ०टी०सी० महराजगंज द्वारा पारित किया गया तलवी आदेश दिनांक 08.08.2017 का है जबकि धारा–5 भारतीय मियाद अधिनियम प्रार्थना पत्र आपराधिक निगरानी के साथ काफी विलम्ब से कई वर्षों पश्चात् दिनांक 07.08.2025 को माननीय न्यायालय में प्रस्तुत किया गया है। माननीय अवर न्यायालय द्वारा पारित किये गये तलवी आदेश दिनांक 08.08.2017 के अनुपालन में निगरानीकर्ता हरिकेश शर्मा उर्फ मोहन व अन्य चार सहअभियुक्तगण रामअशीष मालती, रीमा एंव कृति माननीय अवर न्यायालय में आत्मसमर्पण कर अपनी जमानत में करा चुके है। निगरानीकर्ता उक्त वर्णित तथ्यों को छिपाकर धारा–5 भारतीय मियाद अधिनियम प्रार्थना पत्र मय निगरानी प्रस्तुत किया है। सहअभियुक्त रामनवल के विरूद्ध वर्तमान माननीय अवर न्यायालय द्वारा गैर जमानती वारंट जारी करने हेतु आदेश भी पूर्व में पारित किया गया है जिसे भी धारा–5 भारतीय मियाद अधिनियम प्रार्थना पत्र में छिपाया गया है। निगरानीकर्ता ने मियाद प्रार्थना पत्र में विलम्ब से आपराधिक निगरानी प्रस्तुत करने का जो कारण दर्शित किया गया है वह युक्ति युक्ति व पर्याप्त कारण नही है। उपरोक्त समस्त परिस्थितियों में निगरानीकर्ता द्वारा प्रस्तुत मियाद प्रार्थना पत्र प्रत्येक सूरत में निरस्त किये जाने योग्य है। अतः श्रीमान् जी से प्रार्थना है कि उपरोक्त समस्त परिस्थितियों में निगरानीकर्ता द्वारा प्रस्तुत मियाद प्रार्थना पत्र प्रत्येक सूरत में निरस्त करने की कृपा करें।

4– उभय पक्ष के विद्वान अधिवक्ता को सुनने एवं पत्रावली के सम्यक अवलोकन से सर्वप्रथम यह स्पष्ट है कि आवेदक द्वारा यह प्रार्थना पत्र मियाद अधिनियम की धारा–5 का लाभ लेने के लिये योजित किया है, किन्तु इस प्रार्थना पत्र में आदेश की तिथि का उल्लेख नहीं है, किस तिथि को आवेदक को आदेश की जानकारी हुयी, उसका कोई उल्लेख नहीं है।

कोई स्पष्ट आधार उल्लिखित नहीं है। यहां यह भी उल्लेखनीय है कि दौरान बहस जिस आदेश का उल्लेख किया गया वह दिनांक 08.08.2017 का तलबी आदेश है। विपक्षी द्वारा यह भी कथन किया गया कि अभियुक्तगण इस मामले में जमानत कराकर हाजिर हो चुके हैं। आवेदक द्वारा किया गया सम्पूर्ण कथानक एवं आधार मियाद अधिनियम एकदम बनावटी तथा सतही तौर पर प्रस्तुत है। आवेदक द्वारा 08 वर्ष के बाद मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र बिना उचित कारण के प्रस्तुत किया है, स्पष्ट है कि आवेदक द्वारा अधिनियम का दुरुपयोग किया जा रहा है।

उपरोक्त समस्त कारणों से आवेदक द्वारा प्रस्तुत वाद सं०–288/2025, धारा 5 भारतीय मियाद अधिनियम निरस्त किये जाने योग्य है।

आदेश

5– अपीलकर्ता द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम निरस्त किया जाता है। पत्रावली नियमानुसार दाख़िल दफ़्तर हो।

21.07.2026

(शैलेन्द्र वर्मा)
अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश,
त्वरित न्यायालय, कोर्ट संख्या–1, महराजगंज
आई 0 डी0 संख्या–यू0 पी0 6426